राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27( ) ग्राविवि/ग्रुप–5/Xen(RH)/विविध/2018–19 जयपुर, दिनांक 19 अप्रैल, 2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्राविप्र), समस्त,
राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण के लाभार्थी को किश्त हस्तान्तरण के उपरान्त अगले निरीक्षण/किश्त भुगतान में 9 से 12 माह की देरी के कम में।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण के कियान्वय फ्रेमवर्क अनुसार स्वीकृत आवास निर्माण हेतु प्रथम किश्त हस्तान्तरण दिनांक से अधिकतम अवधि 1 वर्ष अनुमत है। उक्त संबंध में समीक्षा उपरान्त पाया गया है कि राज्य में 9 माह अवधि पार द्वितीय किश्त जारी करने के 7243 व तृतीय/अंतिम किश्त जारी करने के 3926 प्रकरण लम्बित है। पूर्व आवासीय योजना के कियान्वयन अनुभव के आधार पर सभावित है कि उक्त प्रकरण या तो पर्यवेक्षण के अभाव में लाभार्थी द्वारा रूची नहीं लेने के कारण /अन्य कारणो से बन्द /विवादित आवास हो जायेंगे "अथवा" उक्त आवासो की ग्राम पचायत/पंचायत समितियो के संबंधित कार्मिको द्वारा निरीक्षण नहीं किये जाने के कारण द्वितीय/तृतीय किश्त जारी नहीं हो सकी है। उक्त दोनो ही परिस्थितियो से योजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न विवरण अनुसार 9 माह से भी अधिक अवधि से लम्बित शतप्रतिशत आवासों का भौतिक सत्यापन करवाकर आवास निर्माण में शिथिलता को दोषी लाभार्थीयो के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अथवा यदि निर्धारित स्तर तक आवास पूर्ण होने के उपरान्त भी निरीक्षण के अभाव में किश्त जारी नहीं कराने के दोषी कार्मिक/अधिकारियो का चिन्हिकरण कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करावे। इस कम में लाभार्थीवार /किश्त जारी करने की दिनांक संहित विस्तृत विवरण की सूची ई–मेल द्वारा भी प्रेषित कर दी गई है।

भवदीय,

संलग्न :– जिलेवार संकलित सूची।

(के. के. शर्मा) 19/4/18
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. श्री पी.के. मित्तल, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. परियोजना निदेशक (मो. एवं मू), ग्रावि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. जिला कलक्टर, समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि